

आदेश पत्रक


(नियम 13)

(General (Civil), Rule 103, Appendix 'B', Form No. 9)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी झुन्झुनू (राज.)

मंडिल शर्ति मी गोपीनाथ जी **बनाम** मुन्नालाल वर्मा

किस्म मुकदमा प्रतिपक्ष लोड 22 नम्बर 28/2022 सन् 2022
 निजाम 1 वक्ता 80(2) 151CPC

आदेश	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
6-7-22	<p>प्रार्थन पत्र प्रार्थी परिसर वकील पेश किया गया। प्रार्थी वकील को एकपक्षीय हुना गया। प्रार्थी वकील ने प्रार्थन पत्र में दक्षिण तर्कों का दोहराया तथा कथन किया कि वाद पत्र में वादा मंडिल शर्ति मी गोपीनाथ जी महाराज है जो शाश्वत नाबालिग है जो स्वयं वाद पत्र पेश नहीं कर सकें। प्रतिवादाज वाद पत्र में दक्षिण शक्ति का दुर्बुद्ध व बेचान कोन पर नामदा है। इसलिए मंडिल शर्ति मी गोपीनाथ जी महाराज की दोहे वाद पत्र पेश कोन के लिए - चाणालय वाद मित प्रार्थी को नियुक्त कोन का दोहे फरमावे। प्रार्थी वकील को बृद्ध पर भ्रमन किया गया एवं पतावली का इकलकन किया गया। प्रार्थी को मंडिल शर्ति की शक्ति के लिए वाद मित नियुक्त कोन उचित व चाणोचित उगत होना है। अतः वाद पत्र कोन के लिए मंडिल शर्ति मी गोपीनाथ जी महाराज की दोहे प्रार्थी को (वादार्थ संरक्षक) वाद मित नियुक्त किया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुन्झुनू) </p>	